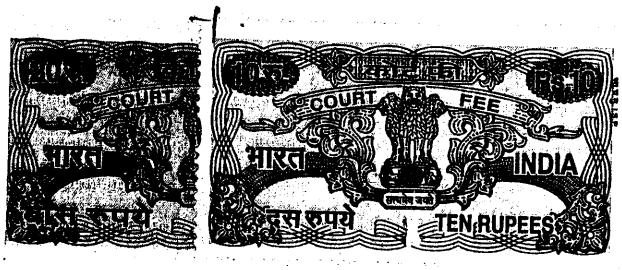

11

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

प्र.क्र. R 409-I/17

चार्ली तनय चतरा राउत (आदिवासी)
निवासी ग्राम गौहर तह. बीना जिला सागर

.............निगरानीकर्ता/आवेदक

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर सागर जिला सागर द्वारा प्रकरण क्र 20/अ–21/13–14 पारित आदेश दिनांक 30/11/13 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गौहर स्थित भूमि खसरा क्र 51/5 रकवा 0.80 हे. आवेदक को पट्टे पर प्राप्त भूमि है तथा उसको भूमिस्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए है। जिसमें से आवेदक द्वारा रकवा 0.40 हे भूमि को मनोज श्रीवास्तव तनय राघवेन्द्र स्वरूप श्रीवास्तव निवासी मण्डीबामोरा तह. बीना जिंला सागर को विक्रय किए जाने हेतु अनुमति प्राप्त हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें कलेक्टर सागर द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बिना किसी आधार के निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(… 94251-71223)

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक ......409-I/17......जिला ....सागर............

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1.2.17	1– आवेदक के अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2– मैने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर सागर जिला सागर म0प्र0 के प्र. क्र. 200/अ–21/वर्ष 13–14 में पारित आदेश दिनांक 30/11/13 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक की भूमि ग्राम मौजा गौहर तह बीना जिला सागर स्थित खसरा क्र 51/5 रकवा 0.80 हे भूमि आवेदक को बंटन में प्राप्त भूमि है तथा वर्तमान में आवेदक के नाम पर दर्ज भूमि है। उक्त प्रश्नाधीन भूमि में से आवेदक द्वारा रकवा 0.40 हे को विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे कलेक्टर सागर द्वारा जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार सागर को प्रेषित किया गया परंतु तहसीलदार सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी सागर के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर सागर द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है जिस कारण यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा जो भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया था वह इस आधार पर दिया था कि आवेदकगण प्रश्नाधीन भूमि अनउपजाउ है जिस कारण से उनको उस पर काश्तकारी करने में अत्याधिक कठनाई हो रही है तथा वह ठीक तरीके से काश्तकारी नहीं कर पा रहे है जिस कारण से उनको आर्थिक हानि हो रही है	

R-409.5/17

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	इस कारण से वह इस भूमि को विक्रय कर अन्य स्थान पर कृषि योग्य भूमि क्रय करना चाहते हैं जिससे वह अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकें। साथ ही साथ आवेदक अत्याधिक अस्वास्थ है जिस कारण इलाज हेतु उसको पैसों की आवश्यकता भी है। उनके द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय का इकरार मनोज श्रीवास्तव तनय राघवेन्द्र स्वरूप श्रीवास्तव निवासी मण्डीबामोरा तह. बीना जिला सागर से किया गया है तथा वह भूमि को इकरारग्रहीता मनोज श्रीवास्तव को विक्रय करना चाहते है। आवेदक का यह भी तर्क है कि चूंकि वह भूमि विक्रय करने के उपरान्त अपने निवास स्थान के समीप अन्य भूमि क्रय करेगे इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी बल्कि उनके पास ज्यादा भूमि हो जायेगी। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है । 4— निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्कों पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 5— उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है वह उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं है। कलेक्टर सागर में वर्णित तहसीलदार प्रतिवेदन के बिन्दुओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का कुछ रकवा कृषि कार्य हेतु उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय करने के उपरांत आवेदक के पास अन्य भूमि शेष बचती है तथा आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि को विक्रय कर उसके स्थान पर विक्रय की जा रही भूमि	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	के बराबर अथवा उससे अधिक अन्य भूमि अपने निवास स्थान के समीप क्रय करेगा इस प्रकार उनके पास वर्तमान में जितनी भूमि है उसमें कमी नहीं होगी। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/11/13 निरस्त किया जाता है तथा मौजा गौहर स्थित भूमि खसरा क्र 51/5 रकवा 0.80 हे में से आवेदक को रकवा 0.40 हे भूमि मनोज श्रीवास्तव तनय राघवेन्द्र स्वरूप श्रीवास्तव को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक को प्रचलित शासन की गाईडलाईन के मान से विक्रयधन विक्रेता को अदा होने की संतुष्टि कर विक्रय पत्र संपादित करें । सदस्य	